

# खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- ३१३७९ न०नि०

सेवा में,

श्री आजन्नद शुभार पिता-श्री सुरेश शुभार सिंह २० श्री सुरेश शुभार सिंह  
पिता/श्री रघुनन्दन सिंह ३० श्री महेन्द्र सिंह पिता-श्री हौशी सिंह,  
श्री ५. श्री जीम प्रसाद सिंह पिता-श्री महेन्द्र सिंह ५० श्री मनीष शुभार  
पिता-श्री सुरेश शुभार सिंह, काली मन्दिर रोड, बैठारबान्ध, धनबाद।  
धनबाद, दिनांक- ३१/८/१५

विषय- आवासीय/ व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०ड०- ८०४/१४-१५  
संबंधी ओपके आवेदन दिनांक- २०.२.१५ के संबंध में।

महाशय,

**9098, 9099, 2598,**

**414, 416, 417, 419, 138,**

आपके आवेदन, दलील संख्या- २५८६ दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- १३७-११-१३-१४  
जमावंदी संख्या- १९३२ से १९३४, मेरे निर्गत लागान एसीद वर्ष- १४-१५ की अभिप्रामाणित प्रति, शपथ पत्र एवं  
Indemnity Bond एवं तकनीकी वार्ड्रॉफ अनुशंसा के लालोक में आपके द्वारा प्रत्युत आवासीय/  
व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन संबंधी बी०ड० केश नं० ८०४/१४-१५ के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नवाहौद ५०२ मौजा अन्तर्गत छाता नं० ५४  
स्टॉट नं०- १३९० इ० अंजित शुभार एक्या १३२७९ वर्गमीट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के  
अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री इ० अंजित शुभार की देख-रेख में कार्यारम्भ के पर्व निर्धारित प्रपत्र में  
अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम २ ( दो ) वर्षों में कार्य पूर्ण कर  
अद्विनियन के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बैंगर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा।  
यहाँ उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित है।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

मौजा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/ व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्वा  
अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रवर्नन भूमि पर भूस्वामित्र का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य  
सरकार/ नेशनल ट्रिल्डग कोड के अद्यतन आदेशों, नियमों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होंगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में २०/८०१/८१ कुल रु० ७५८१/८१ जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा  
सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्टेटर डिजायन, सौदायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या ६० दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

*३१३७९*  
साहचर्य, नगर निदेशक

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

धनबाद (००) ३१३७९

*A. N. A.*